राजस्व अपील संख्या 278/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
ओमप्रकाश पुत्र मुकनाराम सीरवी, निवासी– पोलियावास स्कूल के पास, बिलाडा, जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा के आदेश दिनांक 26.10.2021 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2020 अनवान ओमप्रकाश बनाम राज्य में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 19 सितम्बर,2022

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि ग्राम बिलाडा के चक संख्या 03 में ख0सं0 166/1 रकबा 5.6226 हैक्टर ख0सं0 165 रकबा 0.0890 हैक्टर आई हुई है जिसके सम्बन्ध में पैमाइश व पत्थरगढी करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.10.2021 के द्वारा अस्वीकार कर दिया। जिसे व्यथित होकर अपीलार्थी के द्वारा यह अपील न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांटस ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है क्योंकि अपीलान्ट के द्वारा तहसीलदार के समक्ष नियमानुसार फीस जमा करवाकर पैमाइश करवाई जिसकी रिपोर्ट संलग्न प्रस्तुत की जिसमें खसरान भूमि की स्पष्ट दिशाएं दर्शाई गई थीं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के दक्षिण दिशा में रास्ते की भूमि होना बताया और रास्ते की भूमि के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाने का आधार लेकर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जबकि रास्ता सरकारी होने से तहसीलदार ही भूमिधारी पक्षकार थे। इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त करने योग्य है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील अपीलांटस ने यह भी कथन किया कि उक्त खसरान भूमि पर सीमांकन करने एवं पत्थरगढी करने से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हुआ था, फिर भी विवाद उत्पन्न होने की आशंका के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर

दिया गया है। उक्त विवाद होने की आशंका सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के बावजूद तथा सीमाकंन रिपोर्ट होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने नियमित वाद पेश करने का आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायलय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलान्ट की भूमि पर पत्थरगढी व सीमांकन का आदेश दिये जाने आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त खसरान भूमि के पडौस मे रास्ते की भूमि होने एवं उत्तर व दक्षिण दिशा की तरफ उनकी भूमि कम होने क आधार पर रास्ते के भूमि को पक्षकार नहीं बनाये जाने, एवं भूमि कम होने के आधार पर सीमांकन व पत्थरगढी कार्यवाही से विवाद उत्पन होने के आधार पर ही अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है जो उचित होने से बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश दिनांक 26.10.2021 इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अपीलांट द्वारा खातेदारी जमीन खसरा न0 165 व 166/1 का सीमांकन किया जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जान हेतु अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया । उक्त भूमि की सीमांकन पटवारी हल्का द्वारा 6.04.2021 को की गयी, फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि दक्षिण दिशा की तरफ कम पायी गयी। दक्षिण दिशा मे वर्तमान में बिजासनी से बिलाड़ा रोड़ चलती है। मौके पर उपलब्ध रकबा तथा रिकार्ड मे दर्ज रकबे में फर्क होने व खातेदारी घोषणा संबंधी बिन्दूओं का निवारण नियमित वाद के जरिये ही संभव है। मात्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दूसरो की खातेदारी भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं कि जा सकती है। उक्त विवेचन के मद्देनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पातें है व अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन/विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम किया जावें। निर्णय आज दिनांक. 29 सितम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर